15.9.2020

झारखंड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

संचिका संख्या :– प0नि0वि0 / विविध–06–33 / 2007(अंश–I) – 2146(S) राँची, दिनांक :– 09/09/2020

संकल्प

विषयः– लोक निर्माण के कार्यों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु सन्निहित पद्धति की एकरूपता हेतु प्रावधानों के संशोधन के संबंध में।

राज्य सरकार अन्तर्गत निर्माण शाखाओं के पदाधिकारियों के प्रशासनिक एवम् कार्यपालक कृत्यों को निर्धारित करने हेतु झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता–2012 मंत्रिपरिषद की स्वीकृति उपरान्त राज्य में प्रभृत्त है।

अभियंत्रण कार्यों के कार्यन्वयन पद्धति के सन्दर्भ में यह पाया जाता है कि कतिपय प्रसंगों में विस्तृत व्याख्या ना होने के कारण अलग–अलग विभाग, कार्यपालक आदेश / परिपत्र द्वारा सुविधानुसार प्रावधान कर लेते हैं। एक ही राज्य में विभागवार अभियंत्रण कार्यों के निमित्त भिन्न पद्धति होने की वजह से क्रियान्वयन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो जाती है।

सम्यक विचारोपरांत लोक निर्माण के कार्यों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित प्रभृत नियम / पद्धति में संशोधन किया जाता है :–

2 (i) निविदाओं में न्यूनतम निविदित दर के संबंध में :–

क्र0	वर्तमान में प्रभृत नियम / पद्धति	संशोधन
1	Jharkhand PWD Code, Clause 163(a) Tenders quoted below 10 (ten) % of the amount mentioned in Bill of Quantity shall be rejected ab initio.	झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका–163(a) द्वारा कृत प्रावधान को अवक्रमित करते हुए 10 प्रतिशत की न्यूनतम अधिसीमा को समाप्त किया जाता है। सम्प्रति 10 प्रतिशत से नीचे के दर की निविदायें अनुमान्य होंगी। साथ ही JPWD Code के clause 163(a) को "delete" किया जाता है। 10 (दस) प्रतिशत से न्यून निविदाओं के लिए Additional Performance Security के क्रम में परिमाण विपत्र की राशि से – (i) 10 से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20% तथा (ii) 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30% अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा। यह झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 172(a) के रूप में समाहित होगा। पूर्व के संहिता / नियम / परिपत्र द्वारा कृत सभी प्रावधान अवक्रमित समझे जायेंगे।

Sri Rajesh 15/9/2020

2 (ii) समान दर की निविदाओं के निष्पादन के संबंध में :–

क्र0	वर्तमान में प्रभृत नियम / पद्धति	संशोधन
2	(I) मंत्रिमंडल निगरानी, तकनीकी परीक्षण कोषांग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–254 दि0	वैध एवं समान दर की निविदाओं के मामले में निविदा निष्पादन के प्राधिकार द्वारा पारदर्शी

24.02.86 की कण्डिका–1.1.2 द्वारा निर्धारित प्रावधान –

निगरानी विभाग के पत्रांक–2347 दिनांक 31.12.83 की कंडिका–5(क) में आंशिक संशोधन कर यह उपबंध किया जाता है कि (1) वरीयता के आधार पर बराबर के निविदादाताओं में वरीय निविदादाता को एक वित्तीय वर्ष में एक कार्य के लिये ही प्राथमिकता मिलेगी, और (2) जिस श्रेणी में एक ठीकेदार निबंधित हो उस श्रेणी से मात्र एक श्रेणी नीचे तक के कार्य बराबर की निविदित की राशि ही उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

वरीयता के आधार जिस श्रेणी की निविदा विचाराधीन हो उस श्रेणी में रजिस्ट्रेशन की तिथि होगा। यदि कोई संवेदक अपने वर्तमान निबंधन की श्रेणी से एक श्रेणी नीचे भी निविदा देते हैं और यदि वे इसके पूर्व वर्तमान श्रेणी से नीचे की श्रेणी में निबंधित थे तो उसकी वरीयता की गणना नीचे की श्रेणी में निबंधन की तिथि के आधार पर की जा सकती है। बशर्ते कि विचाराधीन कार्य उस क्षेत्र में पड़ता हो जिस क्षेत्र के लिये वे निबंधित है।

(II) मंत्रिमंडल (निगरानी विभाग), बिहार सरकार, पटना का संकल्प/ पत्रांक–2888/निग दि0– 13.09.2091 द्वारा कृत प्रावधान –

राज्य के कार्य विभागों के साथ–साथ अन्य विभागों के अधीन कार्यरत अभियंत्रण कोषांग में पूर्व से प्रदत्त अभियंत्रण कार्य के कार्यान्वयन की पद्धति से सम्बद्ध अनुदेशों/ परिपत्रों के सम्यक् विचारोपरान्त स्थानीय सम्वेदकों को लाभ देने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:–

(i) निगरानी विभाग के पत्रांक–2347 दिनांक 31.12.83 की कंडिका 5 तथा ज्ञापांक 254 दिनांक 24.02.86 द्वारा निर्गत संकल्प की कंडिका 1.1.2 के अवक्रमण में यह उपबंध किया जाता है कि किसी निविदा के लिए यदि एक से अधिक निविदाकारों की दरें न्यूनतम और समान हो तथा शर्त भी समान हो, तब स्थानीय निविदाकार को प्राथमिकता दी जाय। यदि एक से अधिक स्थानीय निविदाकार की दरें समान हो, तब उनमें जो पहले निबंधित हो, उन्हें प्रथमिकता दी जाय। परन्तु कार्य आवंटन पदाधिकारी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किसी संवेदक को एक ही कार्य के लिए स्थनीय होने तरीके से लाटरी (lottery) की पद्धति अपनायी जायेगी।

यह प्रावधान, झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के कंडिका–163(e) के रूप में समाहित होगा तथा उक्त हद तक पूर्व के संहिता/नियम/ परिपत्र द्वारा कृत सभी प्रावधान अवक्रमित समझे जायेंगे।

के कारण प्राथमिकता दी जायेगी सिवाय वैसे मामलों में, जिसमें समान दर वाले सभी संवेदकों को उस वित्तीय वर्ष में एक–एक कार्य के लिए प्राथमिकता मिल चुकी हो।

(ii) निबंधन में संवेदकों के जो पता अंकित है, वे यदि उस जिला में पड़े जिसमें निविदा का कार्य होना है तभी उस संवेदक को स्थानीय माना जायेगा। यदि कार्य एक से अधिक जिला में है तब उनमें से किसी भी जिला में, निबंधन का पता पड़े तब उस संवेदक को स्थानीय माना जायेगा।

(iii) जिस श्रेणी में संवेदक निबंधित हो, उस श्रेणी में और उससे एक श्रेणी नीचे तक के कार्य में समान दर होने पर वे प्राथमिकता के लिये विचारणीय होंगे। परन्तु वरीयता का आधार जिस श्रेणी की निविदा विचाराधीन हो, उसी श्रेणी में निबंध की तिथि होगी। यदि कोई संवेदक अपने वर्तमान निबंधन की श्रेणी से एक श्रेणी नीचे की निविदा देते है और यदि वे इससे पूर्व वर्तमान श्रेणी से नीचे की श्रेणी में निबंधित थे, तब उनके वरीयता की गणना नीचे की श्रेणी में निबंधन की तिथि के आधार पर ही की जा सकती है।

(iv) जिस संगठन में अभी तक निबंधन की प्रणाली लागू नहीं हों सकी है, उसमें स्थानीयता का आधार जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र होगा।

(III) झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन /संशोधन नियमावली–2012 का नियम 4.5 – निविदा निर्णय के समय वरीयता का निर्धारण गत तीन वित्तीय वर्षों में संबंधित श्रेणी के सफलता पूर्वक किए गए कार्यों के आधार पर होगा अर्थात ज्यादा संख्या में विहित श्रेणी के कार्य पूरा करने वाले संवेदक कम संख्या में कार्य पूरा करने वाले संवेदक से वरीय माने जाऐंगें। दो अलग श्रेणी के संवेदकों की पारस्परिक वरीयता का आधार भी निबंधित श्रेणी में पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या होगी। यदि पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या समान हो वैसी स्थिति में उच्चतर श्रेणी के संवेदक को वरीय माना जाएगा।

2. (iii) Mobilization Advance के संबंध में :–

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–3211(S) दि0 05.06.2018 द्वारा Standard Bidding Document की कंडिका–51.1 of Section-3 (Conditions of Contract) में निम्न संशोधन किया गया है:–

"The Employer shall make advance payment to the Contractor of the amounts stated in the Contract Data by the date stated in the Contract Data, against provision by the Contractor of an Unconditional Bank Guarantee in a form and by a bank acceptable to the employer in amounts and currencies equal to the advance payment. The guarantee shall remain effective until the advance payment has been repaid. But the amount of guarantee shall be progressively reduced by the amounts repaid by the Contractor. Interest will be charged @ 10% quarterly compounded.

The interest will be charged with the installment of recovery of mobilization advance."

Mobilization Advance के संबंध में पथ निर्माण विभाग द्वारा अपनायी गयी व्यवस्था (जिसमें Mobilization Advance पर interest देय है (पथ निर्माण विभाग का संकल्प–3211(S) दिनांक–05.06.2018, प्रति संलग्न) के अनुसार कार्रवाई अन्य कार्य विभागों के द्वारा भी की जायेगी।

(ख) mobilization advance दिए जाने की स्थिति में पथ निर्माण विभाग के उपरोक्त संशोधन को सभी विभागों के Contract Document में सम्मिलित किया जाय साथ हीं Equipment advance हेतु भी यह व्यवस्था लागू होगी।

2. (iv) इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्ति/संशोधित प्रावधान से यदि कोई पृथक व्यवस्था किसी कार्य विभाग में यदि लागू हो तब वह स्वतः संशोधित मानी जाएगी।

(3) प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है ।

अनुलग्नक :–*यथोक्त।*

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार

09.09.2020

सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः– प0नि0वि0/विविध–06–33/2007(अंश–I) –2146(S) दिनांक : 09/09/2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 200 (दो सौ) प्रति पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध करायी जाय।

09.09.2020

सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

11) ई० प्रोक्युमेंट सेल

ज्ञापांकः– प0नि0वि0 / विविध–06–33 / 2007(अंश–I) – 2146(S) दिनांक : 09/09/2020

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची / योजना–सह–वित्त विभाग झारखण्ड, राँची / उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची / पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची / जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड, राँची / ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची / ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची / भवन निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची / पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची / सभी अभियन्ता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / उर्जा विभाग / पेयजल एवं स्वच्छता विभाग / जल संसाधन विभाग / तकनीकी परीक्षक कोषांग, झारखण्ड, राँची / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / उर्जा विभाग / पेयजल एवं स्वच्छता विभाग / जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09-09-2020

सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांकः– प0नि0वि0 / विविध–06–33 / 2007(अंश–I) – 2146(S) दिनांक : 09/09/2020

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.09.2020

सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांकः– प0नि0वि0 / विविध–06–33 / 2007(अंश–I) – 2146(S) दिनांक : 09/09/2020

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई–मेल (E-mail) से भेजने एवं ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

09.09.2020

सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

संकल्प

सं0सं0:– प0नि0वि0 / विविध–6–67 / 07 3211(5) दिनांक :– 05/06/18

विषयः– पथ निर्माण विभाग अंतर्गत 2.5 (ढाई) करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों हेतु लागू Standard Bidding Document के कतिपय कंडिकाओं में संशोधन करने के संबंध में।

पथ निर्माण विभाग अंतर्गत 2.5 (ढाई) करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यों के कार्यान्वयन हेतु Standard Bidding Document विभागीय पत्रांक 7246(एस0)डब्लू0ई0 दिनांक 14.11.2007 द्वारा लागू किया गया है। यह Standard Bidding Document मूल रूप से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के मानक Bid Document पर आधारित है।

2. विभाग द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में यह महसूस किया गया कि वर्तमान में लागू Standard Bidding Document के कतिपय कंडिकाओं में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

3. सम्यक विचारोपरान्त पथ निर्माण विभाग के वर्त्तमान में लागू Standard Bidding Document में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

Sl No	Reference Clause of SBD	Current Provisions in the SBD Jharkhand Procurement of Civil Works	Amendment in the SBD Jharkhand, Procurement of Civil Works
1	51.1 of Section 3 (Conditions of Contract)	The Employer shall make advance payment to the Contractor of the amounts stated in the Contract Data by the date stated in the Contract Data, against provision by the Contractor of an Unconditional Bank Guarantee in a form and by a bank acceptable to the employer in amounts and currencies equal to the advance payment. The guarantee shall remain effective until the advance payment has been repaid, but the amount of guarantee shall be progressively reduced by the amounts repaid by the Contractor. Interest will not be charged on the advance payment.	The Employer shall make advance payment to the Contractor of the amounts stated in the Contract Data by the date stated in the Contract Data, against provision by the Contractor of an Unconditional Bank Guarantee in a form and by a bank acceptable to the employer in amounts and currencies equal to the advance payment. The guarantee shall remain effective until the advance payment has been repaid, but the amount of guarantee shall be progressively reduced by the amounts repaid by the Contractor. **Interest will be charged @ 10% quarterly compounded.** **The interest will be charged with the installment of recovery of mobilisation advance.**
2	4.0 of Section 4 (Contract Data)	The Defects Liability Period is 365 days from the date of completion.	The Defects Liability Period is **3 years from the date of completion, in case, where the bituminous thickness is equal to or more than 40 mm. However, in case of works where bituminous thickness is less than 40 mm, the defect liability period is 365 days** from the date of completion.
3	4.5 B(c) of Section 1 : Instruction bidders	Liquid assets and/or availability of credit facilities of no less than amount indicated in Appendix (credit lines/letter of credit/ certificates from Banks for meeting the funds requirements etc. - usually the equivalent of the estimated cash flow for 3 months in peak construction period.)	Liquid assets and/or availability of credit facilities of no less than amount indicated in Appendix (credit lines/letter of credit/ certificates from Banks for meeting the funds rqeuirements etc. - **usually not less than 10% of the value** of estimated cost of the project.)

SL No	Reference Clause of SBD	Current Provisions in the SBD Jharkhand Procurement of Civil Works	Amendment in the SBD Jharkhand, Procurement of Civil Works
4	Section 1 : Instruction to Bidders - Clause 13.5 (New Slause to be inserted)	New Clause 13.5 proposed as an additional provision	**Condition of reimbursement of levy/taxes if levied after receipt of tenders** All tendered rates shall be inclusive of all taxes and levies payable under respective statutes. However, pursuant to the Constitution (46th Amendment) Act. 1982, if any further tax or levy is imposed by Statute, after the last stipulated date for the receipt of tender including extensions if any and the contractor thereupon necessarily and properly pays such taxes/levies the contractor shall be reimbursed the amount so paid, provided such payments, if any, is not, in the opinion of the Employer (whose decision shall be final and binding on the contractor) attributable to delay in execution of work within the control of the contractor.
5	Section 3 (Conditions of Contract) Clause 28.1 (Completion date)	The Engineer shall extend the Intended Completion Date if a Variation is issued which makes it impossible for Completion to be achieved by the Intended Completion Date without the Contractor taking steps to accelerate the remaining work and which would cause the Contractor to incur additional cost.	The Engineer shall extend the Intended Completion Date if a Variation is issued or on account of reasons such as (i) unavailability of free work front, (ii) delay in utility shifting, (iii) delay in environmental clearance (iv) Delay in approval of subcontract by Employer and (v) force majeure (Natural Clamities or Conditions beyond human control). If delay is attributed to the contractor such as poor mobilisation of man, material and machineries, the extension of time will be granted with liquidated damages and for that period price escalation will not be given. The proposal for extension of time will be submitted by the contractor with supporting documents, recommended by the Engineer after proper scrutiny of reasons of the delay and approved by the competent authority.
6	Section - 1 Information to Bidders Clause 37 Corrupt or Fraudulent practices	The Employer will reject a proposal for award if it determines that the Bidder recommended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the contract in question and will declare the firm ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded a contract with National Highways Authority of India/State PWD and any other agencies, if kit at any time determines that the firm has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the contractor, or in execution.	The Employer will reject a proposal for award if it determines that the Bidder recommended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the contract in question and will declare the firm ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded a contract with National Highways Authority of India/State PWD and any other agencies, if kit at any time determines that the firm has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the contractor, or in execution. If it is found and verified that Bidder has submitted false paper with the Bid regarding his work experience/Financial experience or concealed any fact regarding project the department will take action against him regarding suspension/Black listing as per provision in Road Construction Department's registration rules.
7	Clause 37.3 to be added	-	For the consideration of liability against any Bidder or Consultant as the case may be, the value of the Agreement with/the Work Order issued to the concerned bidder or consultant shall be taken into account.

4. उक्त पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (ले0 एवं हक0) झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/विभागध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग।